Rajasthan State Mines & Minerals Limited

(A Government of Rajasthan Enterprise)
4, Meera Marg, Udaipur - 313 001
Phone :(0294) 2427177, 2428792, 2428763-67, Fax :(0294) 2428768/2428739/2428770
GSTIN 08AAACR7857H1Z0
E-mail :contractsco.rsmml@rajasthan.gov.in,
Website: www.rsmm.com

निविदा संख्या : RSMM/CO/GGM(Cont)/Cont-04/2025-26/ **दिनांक : 13.05.2026**

रॉक फॉस्फेट परियोजना झामरकोटड़ा
के लिए
AIS–125 मानकों के अनुसार ड्राइवर सहित टाइप–B (BLS) एम्बुलेंस सेवाओं को दो वर्ष की अवधि हेतु किराये पर उपलब्ध कराने के लिए"
ई–निविदा प्रपत्र

Issued: On behalf of RSMML
द्वारा
समूह महाप्रबन्धक (अनुबन्ध)
आर.एस.एम.एम. लिमिटेड

ऑनलाईन डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	:	दिनांक 13.05.2026 से 10.06.2026 को अपरान्ह् 1.00 बजे
ऑनलाईन निविदा जमा कराने की तिथि एवं समय	:	दिनांक 10.06.2026 अपरान्ह् 3.00 बजेतक
संविदा खुलने की तिथि एवं समय	:	दिनांक 11.06.2026 अपरान्ह् 3.30 बजे

Cost of tender document: Rs. 1180/- (Inclusive GST) Non-Transferable & Non-Refundable.

Rajasthan State Mines & Minerals Limited

(A Government of Rajasthan Enterprise)
4, Meera Marg, Udaipur - 313 001
Phone :(0294) 2427177, 2428792, 2428763-67, Fax :(0294) 2428768/2428739/2428770
GSTIN 08AAACR7857H1Z0
E-mail :contractsco.rsmml@rajasthan.gov.in,
Website: www.rsmm.com

निविदा संख्या : RSMM/CO/GGM(Cont)/Cont-04/2025-26/ **दिनांक : 13.05.2026**

विस्तृत ई–निविदा सूचना

अनुभवी एवं सक्षम ठेकेदारों से आन–लाईन निविदायें दो भागों (अ) तकनीकी–वाणिज्यिक प्रस्ताव (ब) दर प्रस्ताव, में आमन्त्रित की जाती हैं। कार्य का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

कार्य का विवरण	धरोहर राशि	कार्य अवधि, न्यूनतम मासिक परिचालन एवं अनुमानित लागत
AIS–125 मानकों के अनुसार ड्राइवर सहित टाइप–B (BLS) एम्बुलेंस सेवाओं को दो वर्ष की अवधि हेतु किराये पर उपलब्ध कराने के लिए मॉडल (Tata Winger / Force Traveller / समकक्ष पर आधारित) वर्ष 2025 या उसके बाद का होना आवश्यक है ।	रू.38220/–	**दो (2) वर्ष** 1500 कि.मी. प्रतिमाह **रू. 19.11 लाख**
निविदा प्रपत्र (अहस्तान्तरणीय) रूपये 1180/–		
ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क रु. 500 /–		
निविदाप्रपत्र ऑनलाईन डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	निविदा विक्रय डाउनलोड करने की तिथि दिनांक. 13.05.2026 से 10.06.2026 दोपहर 1.00 बजे तक	
ऑनलाईन निविदा जमा कराने की तिथि एवं समय	दिनांक 10.06.2026 अपरान्ह् 3.00 बजे तक	
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 11.06.2026 अपरान्ह् 3.30 बजे	
विस्तृत निविदा सूचना तथा अन्य शर्तें www.rsmm.com, sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है । निविदाप्रपत्र वेबसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।		

निविदाओं को निम्न योग्यताओं के आधार पर आगे की प्रक्रिया के लिए प्रि–क्वालिफाइड किया जावेगा:

1 निविदाकर्ता के पास कम से कम रु. 09.56 लाख का टर्न ओवर तीन वित्तीय वर्ष क्रमशः 2022–23, 2023–24 अथवा 2024–25 में से किसी एक वर्ष में स्वयं नाम से होना आवश्यक है।

2 निविदाकर्ता के पास कम से कम रु. 4.78 लाख का कारोबार अनुबन्ध के आधार एम्बुलेंस सेवाओं उपलब्ध करवाने का तीन वित्तीय वर्ष क्रमशः 2022–23, 2023–24 अथवा 2024–25 में से किसी एक वर्ष में स्वयं के नाम से होना आवशयक है।

ई–निविदा के बारे में विस्तृत जानकारी निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है जो कि www.rsmm.com, eproc.rajasthan.gov.in तथा sppp.rajasthan.nic.in पर उपलब्ध है । इस हेतु कार्यालय

समयावधि में किसी भी कार्यदिवस को उप प्रबन्धक (अनुबन्ध) से भी सम्पर्क किया जा सकता है ।

बयाना राशि रूपये 38,220/– (रूपये तीस हजार मात्र) निविदा प्रस्ताव के साथ जमा करानी होगी।

ई–निविदाकर्ता अपनी निविदा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय, राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेडए उदयपुर में निविदा जमा कराने की तिथि एवं समय तक प्रस्तुत करेगा तथा निश्चित समय एवं तिथि पर उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष ई–निविदा का प्रथम भाग (तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रस्ताव) खोला जाएगा, तथा सफल निविदाकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाकर ऐसे सूचीबद्ध निविदाकर्ताओं का ही द्वितीय भाग (दर प्रस्ताव) बाद में खोला जाएगा उसकी सूचना सफल निविदाकर्ताओ को भिजवायी जावेगी ।

जिन निविदाकर्ताओं को कम्पनी द्वारा पूर्व में किसी भी कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया गया हो उसके पश्चात् यदि उसे निविदाकर्ता ने स्वीकार नहीं किया हो या कार्य बीच में छोड़ दिया हो या निविदाकर्ता की गलती की वजह से कार्यादेश कम्पनी द्वारा निरस्त कर दिया गया हो तो ऐसे निविदाकर्ता इस निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे तथा कम्पनी द्वारा प्रतिबन्धित किये गये निविदाकर्ता भी इस निविदा में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे जितने समय के लिये उन्हें प्रतिबन्धित किया गया है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी, किसी भी प्रकार निविदा प्राप्ति में देरी अथवा विलम्ब के बारे में दावा मान्य नहीं होगा । कम्पनी के पास बिना कोई कारण बताये किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

नोट: निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा की नियत/विस्तारित तिथि तक हमारे वेबसाइट पर समय-समय पर विजिट करते रहें, ताकि यदि कोई संशोधन (Corrigendum) / परिशिष्ट (Addendum) जारी किया जाए तो उसकी जानकारी प्राप्त हो सके।

ईएमडी (EMD), निविदा दस्तावेज शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क तथा शपथ-पत्र (Affidavit) की डिमांड ड्राफ्ट (DD) मूल रूप में नियत तिथि को RSMML में भौतिक रूप से जमा करानी होगी। साथ ही, इन सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अन्य दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

समूह महाप्रबन्धक (अनुबन्ध)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

निविदा संख्या : RSMM/CO/GGM(Cont)/Cont-04/2025-26/ **दिनांक : 13.05.2026**

ई–निविदा प्रपत्र

1.0 **रॉक फॉस्फेट, खदान**

रॉक फॉस्फेट, खदान, झामरकोटड़ा उदयपुर खान क्षेत्र में कच्ची एवं पक्की सड़क है व कम्पनी द्वारा इसका रख रखाव किया जाता है । निविदाकर्ता निविदा भरने से पूर्व इनकी स्थिति अच्छी तरह देखकर ही अपने रेट प्रस्ताव भरें ।

2.0 वातानुकूलित **एम्बूलेन्स वाहन का कार्य क्षेत्र**

2.1 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) झामरकोटड़ा, खदान पर नियमित रूप से 24 घन्टे की जरूरत के अनुसार मय वाहन चालक मासिक आधार पर नियोजित होना आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर साधारण कार्य क्षेत्र के अतिरिक्त निकटतम प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र अथवा उदयपुर जिले के अन्य अस्पताल आदि में जाने के लिए प्रयुक्त की जावेगी ।

2.2 उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एम्बूलेन्स को उदयपुर जिले व उससे बाहर आने जाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है ।

2.3 इसका मुख्यालय झामरकोटड़ा खदान पर रहेगा एवं इसका मुख्यालय पूर्व सूचना द्वारा बदला जा सकेगा । इस वाहन का कार्यसमय तीनों पारियों अर्थात् 24 घंटे रहेगा ।

2.4 उपरोक्त एम्बूलेन्स का उपयोग घायल व्यक्ति/ रोगी/ डाक्टर /स्टाफ/ कम्पाउन्डर अथवा चिकित्सा में प्रयुक्त आने वाले दवाईयॉ एवं उपकरणों के परिवहन हेतु किया जावेगा।

2.5 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) में आक्सीजन सिलेण्डर व अन्य जरूरी उपकरण, स्ट्रेचर एवं प्राथमिक चिकित्सा संबंधित आवश्यक उपकरणों को सुसज्जित रूप से प्रदान किया जाना आवश्यक है । सभी उपकरण 24 घन्टे उपयोग हेतु तैयार अवस्था में उपलब्ध कराना अति आवश्यक है ।

2.6 जिन निविदाकर्ताओं को कम्पनी द्वारा पूर्व में किसी भी कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया गया हो उसके पश्चात् यदि उसे निविदाकर्ता ने स्वीकार नहीं किया हो या कार्य बीच में छोड़ दिया हो या निविदाकर्ता की गलती की वजह से कार्यादेश कम्पनी द्वारा निरस्त कर दिया गया हो तो ऐसे निविदाकर्ता इस निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे तथा कम्पनी द्वारा/अन्य सरकारी विभागों द्वारा प्रतिबन्धित किये गये निविदाकर्ता भी इस निविदा में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे जितने समय के लिये उन्हें प्रतिबन्धित किया गया है ।

3.0 निविदा प्रपत्र में संलग्न परिशिष्ठ संख्या–य के अनुसार निविदाकर्ता को 500/– रूपये के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सम्बन्धित कार्यादेश जारी होने की स्थिति में निविदा प्रपत्र की शर्तो के अनुसार सफलता पूर्वक कार्य सम्पादन करने वास्ते शपथ–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जो कि नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होना चाहिये । उक्त शपथ पत्र को निविदा के प्रथम भाग के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, इस शपथ पत्र के प्रस्तुत न करने की अवस्था में निविदाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत दर प्रस्ताव को खोलने योग्य नहीं माना जावेगा।

4.0 **एम्बूलेन्स का स्वामित्व**

4.1 कम्पनी को उपरोक्तानुसार वाहन की नियमित आवश्यकता है । अतः निविदाकर्ता के स्वयं/फर्म के किसी एक या अधिक साझीदार के नाम पर वाहन का पंजीकृत होना आवश्यक है । वाहन वर्ष 2025 अथवा उसके बाद के मॉडल का होना चाहिए ।

4.2 उपरोक्त क्लॉज के अनुसार स्वयं का वाहन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निविदाकर्ता को एक शपथपत्र परिशिष्ठ–द देना होगा कि उसके पक्ष में कार्य स्वीकृत

होने पर वह कार्यादेश जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर उक्त वाहन उपलब्ध करवा देगा तथा क्लाज 4.1 के अनुसार प्रस्तावित वाहन सम्बन्धित सभी विवरण इस कार्यालय को सूचित करेगा, अन्यथा कम्पनी को उसकी बयाना राशि जब्त करने का अधिकार होगा ।

4.3 निविदाकर्ता, वाहन का स्वामित्व कार्यावधि के दौरान किसी भी अवस्था में लीज–डीड/पॉवर आफ अटोर्नी/ ट्रान्सफर डीड अथवा अन्य माध्यम के जरिये किसी अन्य व्यक्ति/संस्था इत्यादि को हस्तान्तरण नहीं करेगा । ऐसा करने पर प्रबन्धन को अनुबन्ध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

5.0 निविदा प्रस्ताव (दरों) की मान्यता

निविदा का प्रस्ताव (दरें) निविदा खोलने की तिथि से 120 दिवस (4माह) तक मान्य होंगे ।

6.0 कार्य अवधि

कार्य की अवधि कार्यादेश जारी करने की तिथि से 2 वर्ष होगी । कार्य अवधि समाप्त होने के पश्चात ट्रान्सपरेन्सी एक्ट के तहत आपसी सहमति से कार्य को 50 प्रतिशत तक अनुबन्ध की अवधि को बढाया जा सकता है, जिसका अधिकार आरएसएमएमएल के पास होगा।

7.0 बयाना राशि

7.1 निविदाकर्ता निर्धारित धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफट/पे आर्डर/बेंकर्स चेक आरएसएमएमएल, उदयपुर के पक्ष में देय हो । यह डीडी/पे आर्डर/बेंकर्स चेक तकनीकी– वाणिज्यिक निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है । धरोहर राशि किसी अन्य रुप में स्वीकार नहीं की जायेगी । बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

7.2 बिना बयाना राशि के निविदा प्रपत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत नहीं किये जाएंगे।

7.3 बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

7.4 असफल निविदाकर्ताओं की बयाना राशि सफल निविदाकर्ता को कार्य आदेश दिये जाने तथा कार्यारम्भ करने के पश्चात् लौटा दी जाएगी ।

7.5 सफल निविदाकर्ता की धरोहर राशि जमा करवानी होगी ।

7.6 अगर सफल निविदाकर्ता कार्यादेश जारी करने के पश्चात् पन्द्रह दिनों में कार्यारम्भ नही करता है तो बयाना या अन्य जमा राशि जब्त कर ली जाएगी व कार्यादेश निरस्त किये जाने का अधिकार कम्पनी को होगा । ऐसे संविदाकार भविष्य में कम्पनी की किसी निविदा में भाग नहीं ले सकेगें ।

7.7 निविदाकर्ता द्वारा बयाना राशि निम्न परिस्थितियों में कम्पनी द्वारा जब्त की जा सकती हैः–

i) यदि निविदाकर्ता निविदा देने के पश्चात वैद्यता अवधि के दौरान अपनी निविदा व प्रस्ताव को परिवर्तित करता अथवा वापिस लेता है ।

ii) यदि निविदाकर्ता जारी कार्य आदेश को निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त कर स्वीकृति प्रदान नहीं करता है ।

iii) यदि निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र में उल्लेखित निर्धारित अवधि के अन्दर वाछित धरोहर राशि जमा नहीं करवाता है ।

iv) यदि निविदाकर्ता प्रपत्र में उल्लेखित निर्धारित अवधि के अन्दर अनुबन्ध सम्पादित नहीं करता है ।

v) यदि यह कम्पनी द्वारा सुनिश्चित हो जाता है कि निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने के समय अथवा बाद में निविदाकर्ता ने गलत सूचना व जाली दस्तावेज निविदा प्रपत्र में संलग्न किये है ।

vi) यदि कार्य आदेश होने के पश्चात निर्धारित अवधि में कार्य आरम्भ नही किया जाता है।

8.0 अमानतराशि :

अमानत राशि कुल अनुबंधित राशि (Total Contract Value) की 10 प्रतिशत होगी, जो कि बैंक गारन्टी/अथवा डीडी द्वारा देय होगी । बैंक गारन्टी उचित मूल्य के नॉन ज्युडिसियल

स्टॉम्प पेपर (प्रचलित स्टाम्प ड्यूटी अधिनियम) कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रारूप में किसी भी किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं प्राईवेट सेक्टर बैंक के **(अधिकृत सार्वजनिक एवं प्राईवेट बैंको की सुची पेज संख्या 25 परिशिष्ट–र पर देखें।)** से दी जा सकती है ।
अमानत राशि को अनुबंध अवधि के समाप्त होने के छः माह बाद लौटायी जायेगी लेकिन अनुबन्धकर्ता को अनुबंध से संबंधित उसके सारे दायित्व पूरे करने होंगे और कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र कंपनी को प्रस्तुत करना होगा ।

कंपनी को पूर्ण अधिकार होगा कि वह पूर्ण या आंशिकतौर पर अमानत राशि को जब्त कर सकती है तब जब अनुबन्धकर्ता या तो अनुबंध के अधीन अपने दायित्व पूरे नहीं करें या कंपनी से संबंधित सभी देयताओं को कंपनी को भुगतान करने में असफल हो ।
अगर अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी भी कारणवश अमानत राशि कम पडती है तो अनुबंधकर्ता को अतिरिक्त अमानत राशि जमा करानी पडेगी । कंपनी अमानत राशि की पूर्ति अनुबंधकर्ता के मासिक बिलों में से भी कर सकती है ।
अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

अतिरिक्त परर्फोमेन्स गारन्टी (अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति)

- आरटीपीपी अधिनियम और नियमों के नियम 75 में निर्दिष्ट **सिक्योरिटी डिपोजिट** के अलावा असंतुलित बोली के मामले में सफल बोलीदाता से एक अतिरिक्त परर्फोमेन्स गारन्टी भी ली जाएगी। अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति असंतुलित बोली राशि के पचास प्रतिशत के बराबर होगी। करार के निष्पादन से पहले सफल बोलीदाता द्वारा अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति एकमुश्त जमा की जाएगी। अतिरिक्त परर्फोमेन्स गारन्टी ई. ग्रास या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की जाएगी।

व्याख्या-

- असंतुलित बोली का अर्थ होता हैए अनुमानित बोली मूल्य के पंद्रह प्रतिशत से कम बोली लगाना।
- अनुमानित बोली मूल्य का अर्थ होता हैए बोली दस्तावेजों में उल्लेखित कार्य का अनुमानित मूल्य।
- असंतुलित बोली राशि का अर्थ है अनुमानित बोली मूल्य के 85 प्रतिशत और बोलीदाता द्वारा वर्णित
- बोली राशि का सकारात्मक अंतर।
- पूरे कार्य के संतोषजनक समापन के बाद ठेकेदार को अतिरिक्त परर्फोमेन्स गारन्टी वापस कर दी जाएगी। ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा नहीं किए जाने पर खरीद इकाई द्वारा अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी।

9.0 ई–निविदा प्रपत्र को भरनाः–

9.1 निविदाकर्ता को स्थान, मार्ग के कच्चे/पक्के, दूरी आदि के बारे में संविदा प्रपत्र भरने से पूर्व स्वंय को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर लेना होगा ताकि कार्य के दौरान कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। निविदा प्रपत्र खोलने के बाद किसी भी प्रकार की आपत्तियॉ/संशोधन स्वीकार नहीं किये जायेगें। निविदा में निविदाकर्ता द्वारा लिखी गई किसी भी प्रकार की शर्त स्वीकार नहीं होगी एवं ऐसी परिस्थिति में निविदाकर्ता द्वारा भरी गयी निविदा को निरस्त भी किया जा सकता है।

9.2 प्रबन्धन के पास बिना कोई कारण बताए किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

9.3 **निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र की शर्तों की स्वीकृति हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर अपने नाम व पद मय सील के साथ दिनांक लगाकर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।**

9.4 ई–निविदा प्रक्रिया द्वारा दर प्रस्ताव का तुलनात्मक विवरण केवल संदर्भ के लिए ही होगा। निविदा हेतु प्राप्त दर प्रस्तावों का तुलनात्मक मूल्यांकन कम्पनी द्वारा ही किया जायेगा ।

10.0 ई–निविदा प्रक्रियाः

10.1 निविदाकर्ता अपनी ई–निविदा राजस्थान सरकार की वेबसाईट eproc.rajasthan.gov.in पर इलैक्ट्रोनिक माध्यम से ऑन–लाईन ही प्रस्तुत कर

सकते हैं । अन्य किसी माध्यम से निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।

10.2 निविदाकर्ता इस विषय की विस्तृत जानकारी उपरोक्त वेबसाईट पर दिये गये लिंक पर दी गई जानकारी से इस प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं ।

10.3 इच्छुक निविदाकर्ता को स्वयं को उपरोक्त ई–निविदा पोर्टल पर पंजिकृत कराना आवश्यक होगा **तत्पश्चात्** ही ई–निविदा को ऑन–लाईन भरने के लिए पात्र होंगे ।

10.4 इच्छुक निविदाकर्ता के पास ई–निविदा प्रक्रिया को सम्पादित करने के लिए भारत सरकार के आई.टी. एक्ट–2000 के प्रावधानों के तहत **डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र होना आवश्यक है** एवं ई–निविदा के सभी दस्तावेज आदि निविदाकर्ता द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित करने होंगे । जिसके बगैर उपरोक्त निविदा प्रक्रिया स्वीकृत नहीं होगी ।

10.5 डाउनलोड किये गये ई–निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन, निविदाकर्ता द्वारा नहीं किया जावेगा एवं उल्लंघन की स्थिति में ऐसी निविदा को निरस्त माना जायेगा ।

10.6 निविदा का सम्पूर्ण विवरण एवं प्रपत्र उपरोक्त वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसको निविदाकर्ता द्वारा डाउन–लोड किया जावेगा ।

10.7 निविदाकर्ता द्वारा सभी संलग्न दस्तावेज तथा निविदा प्रपत्र स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित, मोहरबन्द किये जाना आवश्यक है । तत्पश्चात् उपरोक्त समस्त दस्तावेजों व निविदा प्रपत्र को डिजिटली हस्ताक्षरित कर संबंधित वेबसाईट पर ऑनलाईन अपलोड करना है।

10.8 अपलोड किये गये निविदा प्रपत्र ही निविदा प्रस्तुतिकरण के लिये मान्य होगा बशर्ते की निविदाकर्ता ने अपेक्षित ई–निविदा प्रपत्र शुल्क (आर.एस.एम.एम.एल., उदयपुर के नाम देय) तथा ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क (एम.डी., आर.आई.एस.एल., उदयपुर के नाम देय) एवं निर्धारित बयाना राशि जमा कराई है।

10.9 उपरोक्त दस्तावेजों के साथ में ई–निविदा प्रपत्र शुल्क, ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क तथा बयाना राशि की स्केन कॉपी को भी अपने ई–निविदा प्रस्ताव के साथ अपलोड करना आवश्यक है । उपरोक्त शुल्कों के बारे में विवरण अथवा डी.डी. की स्केन कॉपी अपलोड न करने पर ई–निविदा मान्य नहीं होगी ।

10.10 निविदाकर्ता उपरोक्त शुल्क तथा निविदा प्रपत्र की पात्रता के अनुसार वांछित मूल शपथ पत्रों को समूह महाप्रबन्धक (अनुबन्ध) आर.एस.एम.एम.एल., मीरॉ मार्ग,उदयपुर को नियत तिथि व समय पर या उससे पूर्व प्रेषित/प्रस्तुत करेगें । इन प्रपत्रों के ऊपर निविदाकर्ता अपना नाम, पता, टेलीफोन नम्बर तथा निविदा संख्या एवं कार्य का विवरण साफ–साफ अक्षरों में अंकित करेगा । निविदा प्रपत्र नियत समय पर प्रस्तुत न करने की अवस्था में या किसी भी प्रकार का विलम्ब होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।

10.11 ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क इस निविदा के लिये रूपये 500/– (हज़ार रूपय मात्र) निर्धारित है जो कि एम.डी., आर.आई.एस.एल. के नाम डी.डी./बी.सी. के जरिये जयपुर में देय होगी । निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 1180/– तथा निर्धारित बयाना राशि रूपये 38,220/– आर.एस.एम.एम.एल., उदयपुर के पक्ष में है।

10.12 निविदाकर्ता द्वारा उपरोक्त निर्धारित डी.डी./जमा राशि के विवरण आदि ई–निविदा भरते समय ई–निविदा पोर्टल में भी इन्द्राज करना होगा ।

10.13 उपरोक्त विवरण इन्द्राज करने के पश्चात् निविदाकर्ता को उक्त राशियों के मूल डी.डी./बी.सी./ई–पेमेन्ट जमा के बाबत् रेफरेन्स आई.डी., उपप्रबन्धक (अनुबन्ध), आर.एस.एम.एम.एल., मीरॉ मार्ग,उदयपुर के कार्यालय में निविदा में निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व जमा कराना आवश्यक है, अन्यथा निविदा प्रपत्र को निरस्त माना जावेगा ।

11.0 ई–निविदा प्रपत्र दो (02) भागों में भरा जायगा, जोकि निम्न प्रकार से है:–

प्रथम भाग – तकनीकी वाणिज्यिक (Techno-commercial Part)

द्वितीय भाग – कार्य की दरें (Rate Part, BOQ ऑनलाईन ही भरी जायेगी) ।

11.1 **प्रथम भाग : तकनीकी वाणिज्यिक** (Techno-commercial Part)

तकनीकी वाणिज्यिक निविदा के रूप में निविदा दस्तावेज में निर्धारित दस्तावेजों को ऑन लाईन अपलोड किया जाना चाहिए

i) निविदाकर्ताओं को परिशिष्ठ–(अ) के अनुसार निम्न जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है:–

(अ) वांछित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट या ई–पेमेन्ट द्वारा किये गये भुगतान का विवरण। बयाना राशि के ।
(ब) नाम, पता, ई–मेल, टेलिफोन नं0, मोबाइल नं., फैक्स नं0 इत्यादि की जानकारी।
(स) फर्म की स्थिति में फर्म के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (प्रमाण पत्र) की सत्यापित फोटो प्रति एवं साझेदारी डीड की सत्यापित फोटो प्रति ।
(द) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित फोटो प्रति ।
(य) पेन कार्ड नम्बर की प्रमाणित फोटो प्रति ।

ii) वाहन पर नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी परिशिष्ठ–(ब) में प्रस्तुत करनी होगी ।
iv) निविदा प्रपत्र में अतिरिक्त शर्तें नहीं होने, निविदाकर्ता को पूर्व में कम्पनी द्वारा निलम्बित न किये जाने व कम्पनी के साथ कोई भी लम्बित विवाद न होने हेतु अण्डरटेकिंग परिशिष्ठ–(स) के अनुसार देनी होगी ।
v) स्वयं के स्वामित्व वाली वर्ष 2025 या उसके बाद के मॉडल वाली एम्बुलेन्स के रजिस्ट्रेशन की सत्यापित फोटो प्रति या प्रपत्र के (परिशिष्ठ–द) के अनुसार रूपये 500/– के स्टाम्प पर शपथपत्र (कार्यादेश से पूर्व)
vi) कम्पनी में लगाई जाने वाली एम्बुलेन्स की अन्दर से तथा बाहर से लिए गए फोटो चित्र।(कार्यादेश से पूर्व)
vii) वाहन के कम्प्रेहैसिंव बीमें की सत्यापित फोटो प्रति ।(कार्यादेश से पूर्व)
vii) वाहन के रोड़ परमिट की सत्यापित फोटो प्रति ।(कार्यादेश से पूर्व)
ix) वाहन के लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए फिटनेस प्रमाणपत्र की सत्यापित फोटो प्रति ।(कार्यादेश से पूर्व)
x) निविदाकर्ता एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 (Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006) के अन्तर्गत पंजिकृत हो तो परिशिष्ठ–(र) के अनुसार घोषणा।
xi) पी.एफ. खाता नम्बर की फोटो प्रति या शपथ पत्र परिशिष्ठ–(ल) प्रस्तुत करना होगा।
xii) राजस्थान लोक उपानन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपानन नियम, 2013 में समय–समय पर जारी संशोधन भी लागू रहेंगे।
xiii) राजस्थान लोक उपानन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपानन नियम, 2013 की अनुपालना में निविदा प्रपत्र में निम्न परिशिष्ठ संलग्न किये है:–

Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.
Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications.
Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process and Form No.1
Annexure D: Additional Conditions of Contract.

नोट– **Annexure B** में निविदाकर्ता द्वारा घोषणा किया जाना आवश्यक है।

11.2 द्वितीय भाग – कार्य की दरें (Rate Part/BOQ)

कार्य की दरें ऑन–लाईन भरनी हैं । निविदाकर्ता अपनी प्रस्तावित दरें पोर्टल पर उपलब्ध ई–निविदा के BOQ फॉर्म में ही भरें ।

- कार्य की दरें ऑन–लाईन निविदा भरने का प्रोफॉर्मा परिशिष्ठ–(व) के अनुसार है । निविदाकर्ता इस परिशिष्ठ (BOQ) को वेबसाईट से डाउनलोड कर अपनी दर प्रस्ताव को भरने के पश्चात अपलोड करेंगे । किसी भी स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा दिये गये सैम्पल दर प्रस्ताव फोरमेट (जोकि मात्र निविदाकर्ता की जानकारी हेतु संलग्न किया गया है) में दर इंगित करना निषेध है, इस स्थिति में निविदा निरस्त मानी जावेगी।

- निविदाकर्ता कार्य की दरें प्रथम भाग या किसी अन्य लिफाफे में या अन्य माध्यम से प्रस्तुत नहीं करें, ऐसे दर प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे तथा निविदाकर्ता यदि अपनी दरें निविदा के किसी भाग में इंगित करता है तो इस अवस्था में इस निविदाकर्ता को स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
- प्रथम तकनीकी–वाणिज्यिक भाग में सफल निविदाकारों को सूचीबद्ध किया जाएगा एवं मात्र सफल सूचीबद्ध निविदाओं का ही द्वितीय भाग (कार्य की दरों से संबंधित) खोला जाएगा । सफल निविदाकारों को द्वितीय भाग खोलने की तिथि के बारे में अलग से अवगत करा दिया जाएगा ।
- <u>मासिक परिचालन (1500 कि.मी.) के अतिरिक्त परिचालन का भुगतान</u> :–

  निविदा में उल्लेखित वाहन का कुल मासिक परिचालन 1500 कि.मी. नियत किया गया है । परिचालन 1500 कि.मी. से अधिक होने की परिस्थिति में अतिरिक्त किलोमीटर पर अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा । अतिरिक्त किलोमीटर की दर भी पोर्टल पर उपलब्ध BOQ फॉर्म में ही भरनी है ।

12.0 <u>निविदाओं का मूल्यांकन एवं कार्य आदेशः</u>

12.1 सफल निविदाकारों के दर प्रस्ताव का कम्पनी द्वारा मूल्यांकन किया जावेगा । उचित दर पाये जाने पर न्यूनतम प्रस्ताव को कम्पनी द्वारा स्वीकार किया जायेगा। यद्यपि न्यूनतम दर प्रस्ताव जो कि मासिक आधार पर होगा स्वीकार किया जायेगा, तथापि अतिरिक्त परिचालन की दर भी न्यूनतम होनी चाहिये अन्यथा अतिरिक्त परिचालन की प्राप्त न्यूनतम दर पर L-1 को कार्य करना होगा। यदि न्यूनतम दर प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हो तो कम्पनी द्वारा इस निविदा प्रपत्र के क्लाज 13.0 के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है ।

12.2 निविदाकार को कम्पनी द्वारा जारी कार्य आदेश को अपनी स्वीकृति लिखित में देनी होगी तथा बयाना राशि का समायोजन करने के पश्चात निविदाकर्ता को बकाया धरोहर राशि डी.डी. के रूप में कार्य आदेश देने की तिथि से पन्द्रह (15) दिन के अन्दर जमा करानी होगी एवं निश्चित अवधि में कार्यारम्भ करना होगा।

12.3 सफल निविदाकर्ता को जारी कार्यादेश की स्वीकृति के पश्चात तीस (30) दिन में कम्पनी के साथ अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने होगें, जोकि इस निविदा की शर्तो, स्वीकृत दरों आदि पर आधारित होगा ।

12.4 सफल निविदाकर्ता कार्यादेश जारी होने के पश्चात संविदाकार/संविदाकर्ता माना जावेगा।

13.0 <u>नेगोशियेशनः</u>

13.1 कम्पनी द्वारा केवल न्यूनतम दर प्रस्ताव (L-1) देने वाले निविदाकर्ता से नेगोशियेशन किया जा सकता है । न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता के दर प्रस्ताव को उपयुक्त न पाने की अवस्था में कम्पनी प्रबन्धन लिखित काउन्टर ऑफर द्वारा न्यूनतम निविदा कर्ता को अपना प्रस्ताव देने पर विचार कर सकती है और यदि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम्पनी या तो निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः निविदा आमन्त्रित करेगी अथवा उसी काउन्टर आफर को द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L_2) को तत्पश्चात् तृतीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L_3) को एवं दर प्रस्ताव प्रक्रिया के उपरोक्त क्रमानुसार दिया जावेगा । जो भी निविदाकर्ता इस प्रक्रिया के अनुसार काउन्टर आफर स्वीकार करेगा उसे कार्य आदेश कम्पनी द्वारा जारी किया जा सकता है ।

13.2 अगर निविदाकर्ता द्वारा नेगोशियेशन के दौरान दिया हुआ प्रस्ताव उसके प्रारम्भिक दर प्रस्ताव से अधिक है तब भी निविदाकर्ता पूर्व में भरी हुई कम दर प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु बाध्य होगा ।

13.3 नेगोशियेशन के दौरान निविदाकर्ता के प्रतिनिधि को निविदाकर्ता द्वारा लिखित

सहमति/अधिकार पत्र (written authority) प्रस्तुत करना होगा जिसमे की यह स्पष्ट वर्णित होगा कि उसका प्रतिनिधि निविदा प्रपत्र में भरी हुई दर प्रस्ताव को संशोधित/बदलने के लिए प्राधिकृत है ।

14.00 क्षतिपूर्ति (Compensation)

14.01 निम्नलिखित स्थितियों में ठेकेदार कंपनी को पूर्व-निर्धारित एवं सहमत क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि संबंधित धाराओं में उल्लेखित है:-

1. कार्य प्रारंभ करने में देरी,
2. निर्दिष्ट मॉडल एवं प्रकार के वाहन तैनात करने में विफलता,
3. वाहन तैनात करने में विफलता,
4. निविदा की आवश्यकताओं के अनुसार स्टाफ तैनात करने में विफलता,
5. वाहनों को स्वच्छ एवं अच्छी स्थिति में बनाए रखने में विफलता,
6. निर्धारित समय-सारणी का पालन करने में विफलता।

14.02 यदि ठेकेदार निर्धारित/विस्तारित अवधि में कार्य प्रारंभ करने, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने, वाहनों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो कंपनी ठेकेदार से कुल अनुबंध मूल्य का 0.5% प्रति सप्ताह की दर से पूर्व-निर्धारित क्षतिपूर्ति वसूल करेगी। यदि यह क्षतिपूर्ति अनुबंध मूल्य के 2% से अधिक हो जाती है, तो कंपनी अनुबंध समाप्ति एवं EMD जब्ती जैसे प्रावधान लागू कर सकती है।

14.03 निर्दिष्ट मॉडल एवं प्रकार की एम्बुलेंस उपलब्ध कराने में विफलता की स्थिति में, ठेकेदार प्रति वाहन प्रति दिन ₹1000/- की दर से क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि तीन दिनों के भीतर सही तैनाती नहीं की जाती है, तो कंपनी ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर बाजार से वाहन किराये पर लेने या अनुबंध समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

14.04 वाहन तैनात करने में विफलता की स्थिति में, ठेकेदार प्रति दिन ₹2000/- की दर से क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी होगा। साथ ही, जिन दिनों वाहन तैनात नहीं किया गया, उन दिनों का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि एक माह में तीन बार से अधिक वाहन तैनाती में विफलता होती है, तो कंपनी ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर बाजार से वाहन किराये पर लेने या अनुबंध समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

14.05 प्रत्येक एम्बुलेंस पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं बीमा युक्त चालक उपलब्ध कराने में विफलता अथवा खदान परिसर में वाहन चलाते समय लाइसेंस प्रस्तुत न करने की स्थिति में, ठेकेदार प्रति दिन ₹300/- की दर से क्षतिपूर्ति देगा। इसके अतिरिक्त, कंपनी वाहन को वापस कर सकती है तथा ₹1000/- प्रति दिन का अतिरिक्त दंड लगाएगी, मानो वाहन तैनात नहीं किया गया हो।

14.06 एम्बुलेंस को स्वच्छ एवं अच्छी स्थिति में बनाए रखने में विफलता की स्थिति में, ठेकेदार प्रति दिन ₹500/- की दर से क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी होगा।

14.07 धारा 14.02 से 14.06 (धारा 14.04 को छोड़कर) के अंतर्गत लगाई गई मासिक क्षतिपूर्ति, मासिक देय पारिश्रमिक के अधिकतम 25% तक सीमित होगी। इसकी गणना प्रत्येक के लिए अलग-अलग की जाएगी।

14.08 कार्य के असंतोषजनक निष्पादन या कार्य न किए जाने की स्थिति में, कंपनी अपने विवेक से ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर अन्य एजेंसी से कार्य करवा सकती है। ऐसी स्थिति में कंपनी वैकल्पिक व्यवस्था की अतिरिक्त लागत ठेकेदार से वसूलने तथा सुरक्षा जमा राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त करने का अधिकार रखेगी।

14.09 कंपनी द्वारा वसूल की गई या समायोजित क्षतिपूर्ति से ठेकेदार की अनुबंध के अंतर्गत कार्य पूर्ण करने की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होगी, न ही अन्य दायित्वों से मुक्ति मिलेगी।

15. **बिलों का भुगतान**

a. संविदाकार द्वारा अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ही कम्पनी द्वारा संविदाकर्ता के बिलों का भुगतान किया जायेगा । संविदाकर्ता द्वारा अनुबन्ध हेतु अपेक्षित मूल्य का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा तथा कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने होंगे । नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर का मूल्य कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार होगा एवं समय–समय पर जारी संशोधन भी लागू रहेंगे।

b. संविदाकार को बिलों का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा ।

c. महीने का कार्य पूर्ण होने पर संविदाकार अगले माह की प्रथम सप्ताह में दो या अधिकतम 7 तारीख तक बिल दो (02) प्रतियों में कम्पनी के अधिकृत प्रयोगकर्ता द्वारा प्रमाणित करवा कर प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

d. यथाविधि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लॉग बुक की फोटो प्रति बिल के साथ कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी ।

e. साधारणतः मासिक बिलों का भुगतान वैधानिक कटौतियाँ करने के बाद एवं बिल प्रस्तुत करने के पन्द्रह (15) दिन की अवधि के अन्दर RTGS के द्वारा कर दिया जाएगा ।

f. प्राकृतिक आपदा अथवा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से एम्बूलेन्स का उपयोग नहीं होने पर, ऐसी अवधि का कोई भुगतान अथवा क्षतिपूर्ति या अन्य किसी प्रकार के दावे की राशि कम्पनी द्वारा देय नही होंगी ।

g. निर्धारित समयावधि तक बिल प्रस्तुत नहीं करने पर उसका भुगतान साधारणतया अगले माह में किया जायेगा ।

h. संविदाकार द्वारा लगाये जाने वाली एम्बुलेन्स में जीपीएस (G.P.S.) की व्यवस्था रखनी होगी एवं जीपीएस (G.P.S.) का विवरण प्रत्येक माह के बिल के साथ संलग्न करना होगी।

16.00 कर / GST

i) बोलीदाता द्वारा उल्लेख दरें वस्तु एवं सेवा कर (GST) को छोड़कर होंगी। GST अधिनियम/नियमों के अनुसार लागू दरों पर अतिरिक्त देय होगा। हालांकि, दरों में अन्य सभी कर एवं शुल्क (निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक लागू) शामिल माने जाएंगे।

ii) अनुबंध अवधि के दौरान दरें स्थिर रहेंगी और ठेकेदार किसी भी आधार पर दरों में वृद्धि का दावा नहीं कर सकेगा (जब तक कि निविदा में अन्यथा उल्लेखित न हो)।

iii) GST का समय पर भुगतान एवं संबंधित रिटर्न दाखिल करना ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) अगली माह RSMML को उपलब्ध हो। किसी भी विसंगति की स्थिति में कंपनी ठेकेदार के बिल या अन्य देय राशि/सिक्योरिटी डिपॉजिट से राशि काटने/वसूलने के लिए स्वतंत्र होगी।

iv) ITC रिवर्सल, GST भुगतान में चूक या रिटर्न दाखिल न करने के कारण लगाए गए दंड की स्थिति में, ठेकेदार उक्त राशि कंपनी को भुगतान करेगा। अन्यथा, कंपनी उक्त राशि ठेकेदार के बिलों या सुरक्षा जमा से वसूल सकती है।

v) ठेकेदार प्रत्येक मासिक बिल के साथ GSTIN एवं HSN/SAC कोड सहित यह घोषणा प्रस्तुत करेगा कि "संबंधित कर अवधि का समस्त GST जमा कर दिया गया है तथा रिटर्न दाखिल कर दिए गए हैं।"

vi) इसके अतिरिक्त, बोलीदाता निविदा प्रस्तुत करते समय एक सामान्य घोषणा देगा कि "निविदा जमा करने की तिथि तक GST भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है तथा सभी रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।"

17.0 डीजल की दरों में परिवर्तन होने पर

17.1 यदि डीजल वृद्धि अथवा कमी (एसकेलेशन अथवा डिएसकेलेशन) की गणना करने के लिए डीजल की मूल दर निविदा प्रकाशन की दिनांक 13.05.2026 को उदयपुर जिले में I.O.C.L./B.P.C.L. की खुदरा दर Rs. 90.84(IOCL)/90.65 (BPCL) लागू होगी ।

17.2 डीजल की दरों में पाँच (05) पैसे प्रतिलीटर तक की घटत–बढ़त का कोई प्रभाव नहीं दिया जायेगा एवं प्रत्येक माह की 15 तारीख को प्रचलित दर लागू रहेगी ।

17.3 **एम्बुलेन्स (रोगी वाहन) के संचालन के मासिक स्तर (तय) दर के संबंध में :**

$$\frac{(\text{डीजल की वर्तमान दर– मूल दर निविदा प्रकाशन तिथि के समय की डीजल दर}) \times (\text{वास्तविक चालित किलोमीटर तक})}{15 \text{ कि.मी. प्रति लीटर}}$$

17.4 उपरोक्त घटत बढ़त केवल डीजल की दरों में परिवर्तन होने पर ही उपर्युक्तानुसार लागू होगी । किसी अन्य सामग्री जैसे स्पेयर पार्ट्स, ऑयल एवं कर्मचारियों के वेतन इत्यादि की दरों में होने वाली घटत बढ़त का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

17.5 कार्य आदेश जारी होने पर संविदाकार को बिल प्रस्तुत करने की तिथि पर उदयपुर में डीजल की प्रचलित दर, जोकि डीजल रिटेल आउट–लेट के द्वारा जारी किया गया हो को इकाई प्रमुख, उदयपुर, आरएसएमएमएल, उदयपुर से प्रमाणित करवा कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

18.0 रोगी वाहन पर नियोजित चालक

18.01. एम्बूलेन्स के चालक मासिक आधार पर नियोजित, स्वस्थ, मृदुभाषी, कुशल, व्यवहारिक एवं अनुशासित होना आवश्यक हैं। एम्बूलेन्स चालकों की सूचना प्रबन्धन को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ठ–ब) में देनी होगी।

18.02. एम्बूलेन्स वाहन चालक के पास ड्यूटी के दौरान परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया अधिकृत वाहन चलाने का लाइसेंस, टोकन तथा वाहन के संपूर्ण प्रपत्र होने आवश्यक है।

18.03. पारी के अंत में/दैनिक कार्य पूर्ण होने पर लॉग बुक में प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन चालक की होगीए तथा प्राधिकृत

अधिकारी द्वारा लॉग बुक की जाँच करने के लिए मांगने पर वाहन चालक को लॉग बुक प्रस्तुत करनी होगी।

18.04. कम्पनी की जिम्मेदारी केवल लॉग बुक में सत्यापित यात्राओं के भुगतान की रहेगी । यात्रा विवरण की वे प्रविष्टियाँ जिन का सत्यापन कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है, उनका भुगतान करने की कम्पनी की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी।

18.05. रोगी वाहन चालक ड्यूटी के दौरान शराब अथवा किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन किए हुए पाया जाने पर उसे वाहन का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा तथा ऐसी स्थिति में अन्य वैकल्पिक व्यवस्था संविदाकार की जोखिम व लागत पर ही की जा सकेगी व इसका संपूर्ण भुगतान संविदाकार के मासिक बिलों में से कटौती करके किया जाएगा।

18.06. रोगी वाहन चालक सदैव वाहन को ठीक तरह से चलायेगा और किसी भी तरह के वाद–विवाद अथवा दुर्घटना से बचाव करेगा। यात्रा के दौरान वाहन चालक या हेल्पर की गलती से या अन्य किसी कारण से यदि उस पर कोई दंड किसी राजकीय विभाग द्वारा लगाया जाता है तो उसका भुगतान संविदाकार को करना होगा तथा ऐसी स्थिति में कर्मचारियों व अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था से गंतव्य स्थान पर यथा समय पहँचाने की संपूर्ण जिम्मेदारी संविदाकार की होगी।

18.07. रोगी वाहन पर लगाए गए कर्मचारी का वेतन, भत्ता इत्यादि का भुगतान संविदाकार द्वारा देय होगा । यदि संविदाकार अपने कर्मचारी का भुगतान प्रत्येक माह की सात (07) तारीख तक नहीं करता है तो कम्पनी को अधिकार होगा कि वह निविदाकर्ता के मासिक बिलों में से कटौती करके वाहन पर लगाए गए कर्मचारी को देय मासिक वेतन का भुगतान कर देवें।

18.08. वाहन पर लगाए गए कर्मचारियों का व्यवहार अथवा कार्य उचित नहीं पाने पर संविदाकार को ऐसे कर्मचारियों को तुरन्त बदलना होगा।

18.09. चालक के पास मोबाइल **(एयरटेल/जिओं की सिम से युक्त का)** चालू हालत में हमेशा होना तथा उसे हिंदी पढ़ने लिखने का ज्ञान होना आवश्यक है वाहन चालक एवं मालिक को कम्पनी के वाहन संचालन संबंधित सभी निर्देशो की पूर्णरूप से पालना करनी होगी। वाहन चालक संविदा समयावधि में वाहन का उपयोग किसी भी निजी अथवा अन्य कार्यो के लिए नहीं करेगा और कानून विरूद्ध कार्य में परिचालन नहीं करेगा।

19.00 <u>एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) के परिचालन के संदर्भ में</u>

19.01. एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) **मॉडल** मॉडल **(**Tata Winger / Force Traveller / **समकक्ष पर आधारित)** वर्ष 2025 **या उसके बाद के वर्ष के मॉडल की होना आवश्यक** है ।

19.02. निविदाकर्ता को एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) के साथ हर समय काम में आने वाले औजार, स्टेपनी एवं आवश्यक स्पेयर्स रखने आवश्यक होंगे । कम्पनी के यान्त्रिक अभियंता/ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय समय पर इनका निरीक्षण किया जा सकेगा ।

19.03. एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) पर पूर्ण रूप से सीट कवर, पर्दे इत्यादि सही हालत में लगे होने अनिवार्य है। इनके समय समय पर रखरखाव व व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी भी निविदाकर्ता की होगी ।

19.04. एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) के रखरखाव/दुरूस्ती करवाने की दशा में उसके स्थान पर संविदाकार को उसी प्रकार की वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी । ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में प्रबन्धन को समय से पूर्व लिखित में अवगत कराना होगा ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो ।

19.05. यदि एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) को लम्बे समय के लिए मरम्मत के लिए ले जाता है तो निविदाकर्ता को इसकी पूर्व अनुमति प्रबन्धन से लिखित रूप में लेनी होगी तथा इस

दौरान सुचारू वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी । यदि संविदाकार वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करता है तो कम्पनी संविदाकार की जोखिम व लागत (Risk & Cost) पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करेगी व इसका समायोजन संविदाकार के मासिक बिलों से किया जाएगा तथा प्रत्येक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था हेतु प्रबन्धन एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) 3000/–प्रति दिन तक पेनल्टी जोकि कान्ट्रेक्ट वेल्यू के 15 प्रतिशत से अधिक मासिक आधार पर नही होगी ।

19.06. संविदा की अवधि के दौरान एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) का रोड टैक्स/स्पेशल रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन, कम्प्रेहेंसिव बीमा, रोड परमिट इत्यादि वैध होने चाहिए व इन वैध प्रपत्रों की भी एक एक फोटो प्रतिलिपि, कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा ।

19.07. संविदाकार को एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) की लॉग बुक सही हालत में रखनी होगी ।

19.08. एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) को दुरूस्त रखना एवं सही समय पर उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी संविदाकार की होगी ।

19.09. एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) का उपयोग पूर्णतः आर.एस.एम.एम.लिमिटेड के लिए ही किया जाएगा । उक्त वाहन में केवल आर.एस.एम.एम. लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त रोगी एवं व्यक्ति ही यात्रा कर सकेंगे ।

19.010. एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) को चलाने के संबंध में ईधन, ऑयल, इत्यादि का खर्चा निविदाकर्ता को वहन करना होगा ।

20.00 संविदा की समाप्ति

20.1 कार्य आदेश जारी होने की निर्धारित अवधि में कार्य आरम्भ न करने की स्थिति में कार्य आदेश रद्द किया जा सकता है तथा धरोहर राशि जब्त की जा सकती है ।

20.2 यदि संविदाकार की सेवायें संतोषजनक नहीं है एम्बूलेन्स तीन (03) दिन तक लगातार ड्यूटी हेतु उपलब्ध नहीं कराता है तो प्रबन्धन बिना कोई नोटिस दिए संविदा को समाप्त कर सकता है । इस प्रकार संविदा समाप्ति से यदि कंपनी को कोई हानि होती है व कम्पनी को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने पर अतिरिक्त भुगतान करना पडता है तो भुगतान की गई राशि की वसूली संविदाकार के किसी भी बकाया बिल अथवा धरोहर राशि में से इसका समायोजन करने के लिए प्रबन्धन स्वतंत्र होगा । उक्त राशि समुचित नहीं होने पर शेष राशि विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा वसूली जा सकेंगी।

20.3 किन्ही अपरिहार्य कारणों से एम्बूलेन्स की अवश्यकता नहीं होने की स्थिति में संविदाकार को दो (02) महीने का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त भी किया जा सकता है, जिसका अधिकार कम्पनी को होगा ।

21.0 संविदाकार द्वारा अपील करना

यदि निविदाकर्ता, प्रबन्धन द्वारा दिये गये निर्णय या कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं होता है तो परिशिष्ठ–सी के अनुसार वह प्रथम अपील अधिकारी जोकि प्रबन्ध निदेशक, आरएसएमएम लिमिटेड, मीरा मार्ग, उदयपुर है व द्वितीय अपील अधिकारी खान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर है के समक्ष अपना उपरोक्त प्रतिवेदन सलंग्न Form No.1 (see rule 83) - Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 में भरकर निर्धारित शुल्क देकर प्रस्तुत कर सकता है ।

22.0 न्याय क्षेत्र

इस संविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उस हेतु न्याय क्षेत्र उदयपुर न्यायालय ही रहेगा ।

23.0 विविध

संविदा लागू होने की स्थिति में संविदाकार को कर्मचारी भविष्य–निधि अधिनियम और उसके

अंतर्गत बनी हुई योजनाएं/नियमों और संविदाकार द्वारा नियोजित कामगारों पर लागू होने वाले सभी नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत अपना अंशदान जमा कराने का दायित्व होगा । संविदाकार ऐसे कर्मचारियों से उनका अंशदान वसूल करेगा और अपने अंशदान (भविष्यनिधि अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी दर अनुसार अपने अंशदान की बराबर राशि) के साथ सीधे क्षेत्रिय भविष्य निधि कार्यालय अथवा कंपनी के पी.एफ.ट्रस्ट में जमा कराएगा। कम्पनी के पी. एफ. ट्रस्ट में जमा कराये गये अंशदान पर कर्मचारी के वेतन (मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ता) का 1.15 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क के रूप में कम्पनी द्वारा वसूला जावेगा। इस प्रशासनिक शुल्क में से 0.18 प्रतिशत के बराबर राशि कम्पनी द्वारा निरीक्षण शुल्क के रूप में क्षेत्रिय भविष्यनिधि कार्यालय में जमा कराई जावेगी । चूँकि संविदाकार के द्वारा चूक होने की स्थिति में कंपनी को वह राशि संविदाकार की ओर से जमा करानी होगी अतः संविदाकार उस राशि का कंपनी को पुनर्भरण के लिए बाध्य होगा। कंपनी संविदाकार की ओर से किये गये ऐसे अंशदान की राशि के समायोजन के लिए अधिकृत होगी। संविदाकार ऐसे रिकार्ड के रखरखाव और नियमों के अंतर्गत संबंधित अधिकृत अधिकारियों को नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी बाध्य होगा । कंपनी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु मांगने पर ऐसे समस्त रिकार्ड एवं प्रतिवेदन को संविदाकार उपलब्ध कराएगा। श्रमिकों से संबंधित समय समय पर समूह महा प्रबन्धक/उप महा प्रबन्धक और राज्य सरकार द्वारा बनाए गये नियमों/अधिनियमों जैसे श्रमिकों को वेतन का भुगतान, वेतन भुगतान अवधि, अनाधिकृत कटौतियॉ, वेतन बुक एवं पर्चियों, वेतन की सूचना का प्रकाशन और नियोजन की अन्य शर्तें, निरीक्षण एवं अवधिपरक प्रतिवेदनों का प्रेषण एवं अन्य संबंधित प्रावधानों की पूर्ण पालना करेगा ।

24.0 निविदाकर्ता को स्थान, मार्ग आदि का निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व स्वंय को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर लेना होगा ताकि कार्य के दौरान कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो । निविदा प्रपत्र खोलने के बाद किसी भी प्रकार की आपत्तियाँ/संशोधन स्वीकार नहीं किये जायेंगें । निविदा में किसी भी प्रकार की शर्त स्वीकार नहीं होगी ।

25.0 प्रबन्धन के पास बिना कोई कारण बताए किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

26ण्0 आरटीटीपी अधिनियम- राजस्थान सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता नियम 2013 एवं समय-समय पर किए गए संशोधन भी इस निविदा पर लागू होंगे।

निविदाकर्ता द्वारा घोषणा

मैं/हम ..... यह घोषणा करते हैं कि हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों एवं कार्य को अच्छी तरह पढ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्तें हमें स्वीकार्य हैं । इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर अपने/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर
मोबाईल न.....

निविदा प्रपत्र की विशिष्ठ शर्तें
(Special terms and conditions)

1. कार्य का संक्षिप्त विवरण

रॉक फॉस्फेट, झामरकोटड़ा खदान, उदयपुर व ओवर बर्डन खनन का कार्य प्रतिदिन तीन पारियों में किया जाता है, उपरोक्त कार्य के लिये राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड व अनुबन्धित ठेकेदारों के श्रमिक निरन्तर कार्य करते है कार्य की प्रकृति वृहद मशीनों एवं भारी वाहनों के परिचालन से आकस्मिक दुर्घटना एवं चोट लगने की संभावना रहती है जिसके मध्य नजर रॉक फॉस्फेट, झामरकोटड़ा खदान पर 24 घन्टे वास्ते पीडित अथवा रोगी कर्मचारी के तुरन्त परिवहन व निकटतम औषधालय में प्राथमिक चिकित्सा हेतु परिवहन के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) की आवश्यकता है ।

एम्बुलेंस का प्रकार एवं अनुपालन :

I. तैनात की जाने वाली एम्बुलेंस Type–B (बेसिक लाइफ सपोर्ट) श्रेणी की होगी जैसा कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड AIS–125 (Part 1): 2014 – "नेशनल एम्बुलेंस कोड (NAC)" तथा BIS IS:10556 (Part–1): 2017 में परिभाषित है।

II. वाहन विशेष रूप से एम्बुलेंस के रूप में निर्मित (purpose-built) होना चाहिए तथा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में "Ambulance" के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। यह उपयुक्त चेसिस जैसे Tata Winger / Force Traveller / समकक्ष पर आधारित होगा तथा इसका मॉडल 2025 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

III. एम्बुलेंस में AIS–125 के अनुसार सभी अनिवार्य फिटिंग एवं उपकरण उपलब्ध होने चाहिए, जिनमें शामिल हैं परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं: स्ट्रेचर (लॉकिंग व्यवस्था सहित) / ऑक्सीजन सिलेंडर (फ्लो मीटर एवं ह्यूमिडिफायर सहित) / सक्शन उपकरण (मैनुअल या इलेक्ट्रिक) / बेसिक आपातकालीन चिकित्सा उपकरण (BP मशीन, स्टेथोस्कोप, फर्स्ट एड किट आदि) / अग्निशामक यंत्र, आंतरिक प्रकाश व्यवस्था, इन्वर्टर तथा सायरन के साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम / चालक एवं मरीज के लिए अलग कम्पार्टमेंट, उचित वेंटिलेशन एवं धोने योग्य फर्श सहित।

IV. एम्बुलेंस के पास वैध RC (Ambulance के रूप में अनुमोदित), फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा, PUC तथा मोटर वाहन नियमों के अनुसार सभी आवश्यक वैधानिक परमिट होने चाहिए। वाहन एवं संचालक को मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 तथा नेशनल एम्बुलेंस कोड (AIS–125 Part–1) के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा। किसी भी स्तर पर अनुपालन न होने की स्थिति में प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है या अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

V. एम्बुलेंस में एयर कंडीशनिंग (AC) सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना आवश्यक होगा।

VI. वाहन का मासिक न्यूनतम संचालन 1500 किमी सुनिश्चित किया जाएगा।

VII. एम्बुलेंस को माह के सभी दिनों में 24×7 ड्यूटी हेतु उपलब्ध रखना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

VIII. तैनात किया जाने वाला वाहन वर्ष 2025 या उससे नवीनतम मॉडल का होना अनिवार्य होगा।

IX. एम्बुलेंस का ईंधन प्रकार डीजल होना आवश्यक होगा।

X. वाहन में GPS ट्रैकिंग प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित एवं कार्यशील अवस्था में होना चाहिए।

XI. सभी आवश्यक उपभोज्य एवं चिकित्सा सामग्री का नियमित रूप से उपलब्ध कराना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

2. शर्तें एवं दिशा–निर्देश

2.1 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) प्रतिदिन 24 घंटे निर्दिष्ट स्थान पर मय चालक हमेशा परिवहन हेतु उपलब्ध होना आवश्यक है ।

2.2 एम्बूलेन्स वातानुकूलित होना आवश्यक है ।

2.3 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) का यान्त्रिक तौर पर रखरखाव सावधानीपूर्वक पहले से ही करते हुये 24 घन्टे उपलब्ध कराना निविदा का मुख्य मर्म है ।

2.4 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) में आक्सीजन सिलेण्डर व अन्य जरूरी उपकरण, स्ट्रेचर एवं प्राथमिक चिकित्सा संबंधित आवश्यक उपकरणों को सुसज्जित रूप से प्रदान किया जाना आवश्यक है । सभी उपकरण 24 घन्टे उपयोग हेतु तैयार अवस्था में उपलब्ध कराना अति आवश्यक है ।

2.5 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) की आन्तरिक सफाई व सीट कवर आदि की धुलाई नियमित तौर पर किया जाना अति आवश्यक है ।

2.6 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) का किसी भी अन्य किसी कार्य में प्रयोग व वाहन चालक द्वारा बिना किसी अनुमति के परिवहन अवान्छनीय है ।

2.7 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) के चालक के पास हमेशा एयर–टेल /जिओ की सिम से युक्त मोबाइल 24 घन्टे चालू हालत में होना आवश्यक है ।

2.8 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) द्वारा केवल घायल कर्मचारी/रोगी, चिकित्सक, कार्यालय कर्मचारी, कम्पाउण्डर, नर्स अथवा संबंधित/वांछनीय व्यक्ति का ही परिवहन किया जावेगा ।

2.9 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) विशिष्ट परिस्थितियों में उदयपुर जिले के बाहर अथवा राजस्थान राज्य के बाहर भी चिकित्सा कार्य हेतु निर्देशानुसार भेजी जा सकती है।

2.10 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) पर कार्य की प्रकृति को देखते हुये समुचित संख्या में चालक उपलब्ध कराना आवश्यक है ।

2.11 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) में जीपीएस (G.P.S.) की व्यवस्था रखनी होगी तथा प्रत्येक माह बिल के साथ जीपीएस (G.P.S.) का विवरण लगाना आवश्यक है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

निविदा संख्या : RSMM/CO/GGM(Cont)/Cont-04/2025-26/ **दिनांक : 13.05.2026**

प्रथम भाग

तकनीकी एवं वाणिज्यिक

निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना चाहिए।

कम संख्या	विवरण	निविदाकर्ता स्वयं भरें
1.	वाँछित बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं. व राशि ।	डीडी नं.....रू..... दिनांक .....
2.	यदि निविदा प्रपत्र को वेब–साईट से डाउन–लोड किया है तो निविदा प्रपत्र के मूल्य का विवरण ।	डीडी नं.....रू..... दिनांक .....
3.	ई–निविदा प्रक्रिया का शुल्क जो कि एम.डी., आर.आई.एस.एल., उदयपुर के नाम देय है ।	डीडी नं.....रू..... दिनांक .....
4.	निविदाकर्ता का नाम, पिता का नाम वर्तमान एवं स्थाई पता एवं टेलिफोन/ मोबाईल/ फैक्स/ ई–मेल इत्यादि ।	
5.	फर्म की स्थिति में फर्म का नाम, पंजियन संख्या की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें	
6.	निविदा प्रपत्र में क्लाज संख्या 3.0 के अनुसार वांछित शपथ पत्र परिशिष्ठ द–'य' ।	संलग्न – हाँ/नहीं
7.	एमएसएमईडी रजिस्ट्रेशन (MSMED Act 2006) के लिये परिशिष्ठ–'र' ।	संलग्न – हाँ/नहीं
8.	कारोबार तीन वित्तीय वर्ष क्रमशः 2022-23, 2023-24, एवं 2024.25	संलग्न – हाँ/नहीं
9.	अण्डर टेकिंग परिशिष्ठ–'श 'के अनुसार	संलग्न – हाँ/नहीं
10.	अण्डर टेकिंग Annexure-B एवं परिशिष्ठ–'स' के अनुसार ।	संलग्न – हाँ/नहीं
11.	G.S.T. registration number एवं प्रतिलिपि ।	संलग्न – हाँ/नहीं
12.	पेन (PAN) नम्बर की प्रति एवं नम्बर ।	संलग्न – हाँ/नहीं

दिनांक : हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

संलग्न :–

घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों एवं कार्य को अच्छी तरह पढ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्तें हमें स्वीकार्य हैं । इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर अपने/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

प्रारूप

निविदाकार द्वारा नियोजित वाहन एम्बूलेन्स पर नियुक्त चालकों का विवरण :

1. नाम
2. पिता का नाम
3. आयु
4. वर्तमान पता
5. स्थाई पता
6. नामांकित व्यक्ति
7. ड्राइविंग लाइसेंस संख्या
8. यात्री वाहन का बैज नं.
9. ड्राइविंग लाइसेंस की श्रेणी (भारी वाहन चालक)
10. शैक्षणिक योग्यता
11. कार्यानुभव एवं प्रमाण

निविदाकार के हस्ताक्षर––––––––––––––––––
एवं दिनांक

Undertaking

I/We …… in respect of submission of tender or the work of hiring of Ambulance Tata Winger/Force Traveller or equivalent Model 2025 and onwards to the RSMM Ltd. hereby declare as under:-

1. We confirm that we have not put any other deviations to the tender terms & conditions.

2. We have not been banned/ debarred/ suspended by the RSMM Ltd. in past for any reason/default.

3. No Legal case is pending with RSMML.

( )
Signature of tenderer

Name and seal of tenderer

Date:
Place:

(TO BE TYPED THE NON JUDICIAL STAMP PAPER OF Rs. 50/- ATTESTED BY NOTARY/MAGISTRATE)

प्रारूप

शपथ पत्र

मैं ..... पुत्र ..... जाति ..... निवासी..... तहसील .....जिला.....(राज.) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि –

1. कि यदि राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड की निविदा संख्याः **निविदा संख्या RSMM/CO/GGM(Cont)/Cont-04/2025-26/** **दिनांक : 13.05.2026** के तहत मेरे पक्ष में कार्य स्वीकृत होता है तो मैं 15 दिवस के अन्दर–अन्दर कम्पनी द्वारा जारी कार्यादेश के अनुसार एवं निविदा प्रपत्र में वांछित माडल के एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) आपको उपलब्ध करवा दूँगा ।

2. यह है कि यदि मैं 15 दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार वाहन उपलब्ध नहीं करवा पाता हूँ तो मेरी बयाना राशि **रूपये 38220/–** एवं जमा धरोहर राशि/बयाना राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार कम्पनी को होगा ।

ह. निविदाकर्ता

तस्दीक

मैं तस्दीक करता हूँ कि शपथ पत्र में वर्णित तमाम तथ्य मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं । इति दिनांक

ह. निविदाकर्ता

परिशिष्ठ – य

प्रारूप

(रूपये 50/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो कि नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है)

शपथ पत्र

मैं .....पुत्र.....जाति .....आयु.....

निवासी गाँव/कस्बा/मोहल्ला, मकान नं0.....तहसील ..... जिला .....

(प्रदेश) ..... शपथपूर्वक निम्न प्रकार से घोषणा करता हूँ कि :–

1. यह है कि मैसर्स ..... ने आरएसएमएम लिमिटेड़ में रॉक फॉस्फेट परियोजना झामरकोटड़ा **के लिए एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) चालक सहित किराये पर परिचालन** के कार्य के लिए निविदा प्रपत्र प्रस्तुत किया है । जिसको मैंने भली भाँति पढ़ एवं समझ लिया है तथा निविदा प्रपत्र में जारी सभी शर्तें एवं नियम मुझे मान्य है।
2. यह है कि मैसर्स ..... के पक्ष में यदि आरएसएमएम लिमिटेड द्वारा उक्त कार्य जारी किया जाता है तो मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पक्ष में जारी किये गये कार्य को सुचारू रूप से एवं बिना किसी अवरोध के करने का तैयार हूँ ।
3. यह है कि आरएसएमएम लि. के द्वारा मेरे पक्ष में जारी किये गये कार्य के लिए निविदा प्रपत्र में के अनुसार ही नियत समय पर वाहन उपलब्ध कराऊंगा एवं जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरे स्वयं की होगी ।
4. यह है कि आरएसएमएम लिमिटेड द्वारा सलंग्न निविदा प्रपत्र में निर्दीष्ट कार्य मेरे पक्ष में जारी किये जाने पर मैं यदि विलम्ब करता हूँ या कार्य आरम्भ/क्रियान्वित करने में असफल रहता हूँ तो कम्पनी द्वारा कार्य आदेश निरस्त कर मेरे द्वारा जमा कराई गयी धरोहर राशि/बयाना राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं भविष्य में आरएसएमएम लिमिटेड द्वारा जारी किसी प्रकार के निविदा में मुझे भाग लेने के पात्र नहीं माना जावे, जिसके लिए मैं भविष्य में किसी प्रकार का एतराज एवं उज्र नही करूँगा ।

शपथग्रहिता

(निविदाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं उक्त ..... ईश्वर को साक्षी मानकर बयान करता हूँ कि इस शपथ पत्र के पैरा 1 लगायत 4 सत्य एवं सही हैं तथा संलग्न निविदा प्रपत्र की सभी शर्तें पढ व समझ कर स्थिर बुद्धि, स्वस्थ चित्त की अवस्था में अपने हस्ताक्षरों से कुल किता मुद्रांक 500/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर समक्ष गवाहान निष्पादित कर दिया है, ताकि सनद् रहे और वक्त जरूरत काम आवें । इति

शपथग्रहिता

(निविदाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर)

दिनांक–
स्थानः

गवाह 1. हस्ताक्षर.....
(गवाह का नाम व पूरा पता)

2. हस्ताक्षर .....
(गवाह का नाम व पूरा पता)

Declaration

Declaration for Registration under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006

1. Whether the tenderer is registered under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006._____(Yes/No)

2. If yes, please furnish the declaration given below.

   We (Name of Tenderer_____), hereby declare that, our organization is registered under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006 as _____ (Micro, Small & Medium) Enterprises.

3. Enclose attested copy of registration certificate.

4. Whether the tenderer is also registered as S.S.I. units, if yes, enclose copy of registration certificate.

Signature of tenderer with stamp

Date:
Place:

(TO BE TYPED THE NON JUDICIAL STAMP PAPER OF Rs. 50/- ATTESTED BY NOTARY/MAGISTRATE)

I……..S/o Shri ……. aged…… year, resident of ……. on behalf of the tenderer i.e. M/s …….. …… hereby undertake oath and state as under:-

1) That I have submitted a tender for hiring of Ambulance Maruti ECO /TATA Winger/Bolero Neo (Mahindra or equivalent) model 2025 and onwards.

2) That I/We have gone through the terms & conditions of the tender document.

3) That the provisions of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 including subsequent amendments & notifications, in respect of the employees engaged for the work, are not applicable on me/us (i.e. tenderer/contractor).

4) That in case during the currency of the contract, I/We come under the purview of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 including subsequent amendments & notifications, then I/We will get myself/ourselves registered with the concerned PF Commissioner.

Deponent
(Authorised Signatory)

VERIFICATION

I/We the above deponent make oath and state that my above statement is true and correct to my personal knowledge, that no part of it is wrong, that nothing material has been concealed, so help me God.

Deponent
(Authorised Signatory)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Compliance with the Code of integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
(g) disclose conflict of interest, if any; and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.
A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
a. have controlling partners/shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ..... for procurement of ..... in response to their Notice Inviting Bids No. ..... dated ..... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding of commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date

Place

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Grievance Redressal during Procurement Process.

The designation and address of the First Appellate Authority is –

Managing Director,
RSMM Limited,
4, Meera Marg, Udaipur (Raj.)

The designation and address of the Second Appellate Authority is –

Principal Secretary,
Mines Department,
Government of Rajasthan
Jaipur.

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procumbent;

(b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and
(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1
(see rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ……. of …….
Before the …….(first/second Appellate Authority)

1. Particular of appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy, or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal : …….
   ……
   ……..(Supported by an affidavit)

7. Prayer: …….
   ……
   ……..

   Place ……..
   Date ……..
   Appellant's Signature

Annexure D

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(ii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

Performa of PRICE BID FOR TENDER

This PRICE BID/ BOQ should be submitted strictly online only on the web portal of www.eproc.rajasthan.gov.in in the prescribed Performa

निविदा संख्या : **RSMM/CO/GGM(Cont)/Cont-04/2025-26/** दिनांक : **13.05.2026**

NAME OF TENDERER: ……

MONTHLY HIRE CHARGES:					
S. No	No. & type of Vehicle	Daily Hrs.	Description of operation	Minimum Kms./ Month	Rates per month in figures / words
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	**AIS–125 मानकों के अनुसार ड्राइवर सहित टाइप–B (BLS) एम्बुलेंस सेवाओं को दो वर्ष की अवधि हेतु किराये पर उपलब्ध कराने के लिए** मॉडल (Tata Winger / Force Traveller / समकक्ष पर आधारित) वर्ष 2025 या उसके बाद का होना आवश्यक है ।	24 Hrs	1 No. with No weekly day of rest	1500	Rates to be quoted online in the prescribed format available at www.eproc.rajasthan.gov.in
	Rate for extra Km. operation beyond stipulated monthly Kms as above (Rs./ Km / vehicle) In figures / Words				

Note:

1. **In case the tenderer omits in quoting the rates, then the lowest quoted rates will be treated as the quoted rates for such omitted rates.**
2. The rates quoted will remain firm & fixed throughout the contract period except variation on account of change in diesel price & taxes & duties.
3. The Diesel price of **Rs. 90.84 (IOCL)/ 90.65 (BPCL) per** liter at is considered as base price for this work
4. All incidental or contingent works required for performance of work shall be done by the tenderer at its cost & expense and it would not qualify for extra payment.
5. These rates quoted by the bidder will be exclusive of Goods & Service Tax (GST), however the rates will be inclusive of any other levies, duties as applicable on this contract (upto last date of submission of bids).

(Signature of Tenderer with Seal)

Dated_____

Place _____

परिशिष्ट–र

List of Scheduled Public Sector Banks

S. No.	Name of the Bank
1.	Bank of Baroda
2.	Bank of India
3.	Bank of Maharashtra
4.	Canara Bank
5.	Central Bank of India
6.	Indian Bank
7.	Indian Overseas Bank
8.	Punjab & Sind bank
9.	Punjab National Bank
10.	State Bank of India
11.	UCO Bank
12.	Union Bank of India

List of Scheduled Private Sector Banks

S No.	**Name of the Bank**
1	Axis Bank Limited
2	Bandhan Bank Limited
3	CSB Bank Limited
4	City Union Bank Limited
5	DCB Bank Limited
6	Dhanlaxmi Bank Limited
7	Federal Bank Limited
8	HDFC Bank Limited
9	ICICI Bank Limited
10	IndusInd Bank Limited
11	IDFC FIRST Bank Limited
12	Jammu & Kashmir Bank Limited
13	Karnataka Bank Limited
14	Karur Vysya Bank Limited
15	Kotak Mahindra Bank Limited
16	Nainital Bank Limited
17	RBL Bank Limited
18	South Indian Bank Limited
19	Tamilnad Mercantile Bank Limited
20	YES Bank Limited
21	IDBI Bank Limited
22	AU Small finance bank